THE ILLUSION OF CONVERSION, POLITICS AND CONSPIRACY

धर्मांतरण का मायाजाल राजनीति और षडयंत्र

Rohit [1]

[1] Research Scholar

ABSTRACT

English: In the year 2007, a report of Justice Ranganathan Mishra was released by the Congress government headed by the then Prime Minister Manmohan Singh, which is also known as the Ranganathan Mishra Commission. This report recommended that people of the Indian Christian and Muslim community should be included in the Scheduled Caste category and that they should be given the benefit of reservation for their upliftment. After this report, a new debate started in the whole country regarding reservation, which again made the politics of reservation a topic of discussion and also exposed how the Christian and Muslim communities are trying to establish caste unity between Dalits and themselves to get reservation. For example, people converted to Christianity and Islam are also like the deprived Dalits of Hindu religion, so they should also be included in the category of reservation given to Dalits. To give this conspiracy a concrete form, since 2004, there has been a continuous effort to create a false narrative of the words 'Dalit Muslim' and 'Dalit Christian' in the society. We recently heard the voice of this lie in the slogans of 'Jai Bhim Jai Mim'. Whereas constitutionally, there is no caste discrimination of any kind in both the above religions. Caste discrimination is seen only in various branches of Hinduism, which has been discriminating against the Dalits of the society for centuries by considering them untouchables. For example, keeping in mind the human rights and considering this practice as inhuman behavior, the Constitution maker Baba Bhim Rao Ambedkar made a provision of some percentage of reservation in the Constitution as constitutional protection to provide social justice to the Dalit society and to put them on the pedestal of equality. So that the Dalit class of Hindu society can also be given access to politics, education, and government posts. This effort of Baba Saheb has also been praised all over the world as 'social justice'. It is necessary to clarify here that this arrangement was made only for the Dalit class of Hindu religion. For example, if an attempt is made to include people of Christian and Muslim religion in the category of Dalits without any logic through Mishra Commission, then should it not be considered a political conspiracy? Keeping these facts in mind, it is natural to raise the question here that is this the policy of appeasement of the UPA government? Is this an attempt to attack Hindu religion? Is this an attempt to usurp the reservation given for the social security of Dalit class by Muslim and Christian religion? Or is it an attempt of the Congress government to lure the votes of Muslim and Christian religion through Ranganathan Mishra Commission? Here the question also arises that is this commission not an attempt to end Indian diversity and Indian democracy? All these questions have been analyzed in the presented research paper.

Hindi: वर्ष 2007 में तत्कालिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस सरकार द्वारा न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्रा की एक रिपोर्ट आती है जिसे रंगनाथन मिश्रा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट ने भारतीय ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करने और उनके उत्थान के लिए दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ दिए जाने की सिफारिश की I इस रिपोर्ट के बाद पूरे देश में आरक्षण को लेकर एक नई बहस छिड़ गई जिसने पुन: आरक्षण पर की जाने वाली राजनीति को तो चर्चा का विषय बनाया ही साथ ही आरक्षण पाने हेतु किस प्रकार ईसाई और मुस्लिम समुदाय , दलित और स्वयं के बीच जातिगत एकता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं इस मंशा को भी उजागर किया । मसलन ईसाई और मुस्लिम धर्म में धर्मान्तरित लोग भी हिन्दू धर्म के वंचित दलित लोगों के ही समान है इसलिये उन्हें भी दलितों कों दिये जाने वाले आरंक्षण

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i4.2024.3437

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

की श्रेणी में रखा जाना चाहिये । इस षडयंत्र को साकार रूप देने हेतु वर्ष 2004 के बाद से ही समाज में 'दलित मुस्लिम' और 'दलित ईसाई' शब्दों का झूठा नरेटिव खड़ा करने का प्रयास लगातार जोरों शोरों से किया जा रहा है I इस झूठ की आवाज़ हमें हाल ही में 'जय भीम जय मीम' के नारों में सुनाई दी । जबकि संवैधानिक रूप से उपरोक्त दोनों ही धर्मो में किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव होता ही नहीं है I जातिगत भेदभाव केवल हिन्दू धर्म की विभिन्न शाखाओं में ही देखा जाता है जो समाज के दलितों को अस्पृश्य मान कर सदियों से उनके साथ भेद भाव करता आया है । मसलन मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुये एवं इस प्रथा को गैर मानवीय व्यवहार मानते हुये संविधान निर्माता बाबा भीम राव अम्बेडकर द्वारा दलित समाज को सामाजिक न्याय दिलाने और समानता के पायदान पर खडा करने के लिये संवैधानिक सुरक्षा के रूप में संविधान में कुछ प्रतिशत अरंक्षण का प्रावधान किया। ताकि हिन्दू समाज के दलित वर्ग को भी राजनीति, शिक्षा, और सरकारी पदों तक पहुचाया जा सके। बाबा साहेब के इस प्रयास को पूरे विश्व में 'सामाजिक न्याय' के रूप में सराहा भी जाता रहा है। यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यह व्यवस्था केवल हिन्दू धर्म के दलित वर्ग हेतु ही की गई थी । मसलन यदि ऐसे में मिश्रा आयोग द्वारा बगैर किसी तार्किकता के ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोगों को दलितों की श्रेणी में शामिल करने का प्रयास मिश्रा आयोग के माध्यम से किया जाता है तो क्या यह एक राजनीतिक षडयंत्र नही माना जाना चाहिये। इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यहां यह प्रश्न उठना सहज ही है कि क्या यह यूपीए सरकार की तुष्टिकरण की नीति है? क्या यह प्रयास है हिंदू धर्म पर हमला बोलने का? क्या यह दलित वर्ग की सामाजिक सुरक्षा हेतु दिए गए आरक्षण को मुस्लिम और ईसाई धर्म के द्वारा हड़पने का प्रयास है? या फिर काग्रेस सरकार का रंगनाथन मिश्रा आयोग द्वारा मुस्लिम और ईसाई धर्म के वोटो हेतु लुभाने का प्रयास है? यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या यह आयोग भारतीय विविधता को खत्म करने और भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास नही है? इन सभी प्रश्नों का विश्लेषण प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है।

1. प्रस्तावना

वर्ष 2007 में तत्कालिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस सरकार द्वारा न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्रा की एक रिपोर्ट आती है जिसे रंगनाथन मिश्रा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट ने भारतीय ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करने और उनके उत्थान के लिए दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ दिए जाने की सिफारिश की I इस रिपोर्ट के बाद पूरे देश में आरक्षण को लेकर एक नई बहस छिड़ गई जिसने पुन: आरक्षण पर की जाने वाली राजनीति को तो चर्चा का विषय बनाया ही साथ ही आरक्षण पाने हेतु किस प्रकार ईसाई और मुस्लिम समुदाय , दलित और स्वयं के बीच जातिगत एकता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं इस मंशा को भी उजागर किया । मसलन ईसाई और मुस्लिम धर्म में धर्मान्तरित लोग भी हिन्दू धर्म के वंचित दलित लोगों के ही समान है इसलिये उन्हें भी दलितों कों दिये जाने वाले आरंक्षण की श्रेणी में रखा जाना चाहिये । इस षडयंत्र को साकार रूप देने हेतु वर्ष 2004 के बाद से ही समाज में 'दलित मुस्लिम' और 'दलित ईसाई' शब्दों का झूठा नरेटिव खड़ा करने का प्रयास लगातार जोरों शोरों से किया जा रहा है I इस झूठ की आवाज़ हमें हाल ही में 'जय भीम जय मीम' के नारों में सुनाई दी । जबकि संवैधानिक रूप से उपरोक्त दोनों ही धर्मो में किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव होता ही नहीं है I जातिगत भेदभाव केवल हिन्दू धर्म की विभिन्न शाखाओं में ही देखा जाता है जो समाज के दलितों को अस्पृश्य मान कर सदियों से उनके साथ भेद भाव करता आया है । मसलन मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुये एवं इस प्रथा को गैर मानवीय व्यवहार मानते हुये संविधान निर्माता बाबा भीम राव अम्बेडकर द्वारा दलित समाज को सामाजिक न्याय दिलाने और समानता के पायदान पर खडा करने के लिये संवैधानिक सुरक्षा के रूप में संविधान में कुछ प्रतिशत अरंक्षण का प्रावधान किया। ताकि हिन्दू समाज के दलित वर्ग को भी राजनीति, शिक्षा, और सरकारी पदों तक पहुचाया जा सके। बाबा साहेब के इस प्रयास को पूरे विश्व में 'सामाजिक न्याय' के रूप में सराहा भी जाता रहा है। यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यह व्यवस्था केवल हिन्दू धर्म के दलित वर्ग हेतु ही की गई थी । मसलन यदि ऐसे में मिश्रा आयोग द्वारा बगैर किसी तार्किकता के ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोगों को दलितों की श्रेणी में शामिल करने का प्रयास मिश्रा आयोग के माध्यम से किया जाता है तो क्या यह एक राजनीतिक षडयंत्र नही माना जाना चाहिये। इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यहां यह प्रश्न उठना सहज ही है कि क्या यह यूपीए सरकार की तुष्टिकरण की नीति है? क्या यह प्रयास है हिंदू धर्म पर हमला बोलने का? क्या यह दलित वर्ग की सामाजिक सुरक्षा हेतु दिए गए आरक्षण को मुस्लिम और ईसाई धर्म के द्वारा हड़पने का प्रयास है? या फिर काग्रेस सरकार का रंगनाथन मिश्रा आयोग द्वारा मुस्लिम और ईसाई धर्म के वोटो हेतु लुभाने का प्रयास है? यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या यह आयोग भारतीय विविधता को खत्म करने और भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास नही है? इन सभी प्रश्नों का विश्लेषण प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है

2. संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950

1950 में जब हमने अपना संविधान अपनाया तो हमारे संविधान निर्माताओं का एक उद्देश्य भारत को कई सामाजिक बुराइयों से मुक्त करना था जिनमें से एक अस्पृश्यता थी। इसीलिए हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था । ताकि वे लोग जो अस्पृश्यता के कारण आर्थिक,शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे देश की मुख्य धारा में आ सकें और उन्हें

बराबर का दर्जा दिया जा सके जिससे वे सदियों से वंचित रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने इस तथ्य को ध्यान में रखा और संविधान सभा की बहस में भी जोर दिया कि अस्पृश्यता की सामाजिक बुराई केवल हिंदू समुदाय में ही पाई जाती थी और किसी अन्य धर्म जैसे मुसलमान या ईसाई में नहीं । इसलिए संविधान में ‘अनुच्छेद 341’ शामिल किया गया और एक अलग राष्ट्रपति आदेश संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 जारी किया गया । जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। 1950 के संविधान अनुसूचित जाति आदेश में पहली बार 1956 में संशोधन किया गया जिसके द्वारा सिख धर्म को भी हिंदुओं के संबंध में समान स्थिति में रखा गया और 1990 में एक और संशोधन किया गया जिसके द्वारा बौद्ध धर्म को भी अनुसूचित जाति के दायरे में लाया गया।

3. संवैधानिक व्यवस्था

अनुसूचित जाति शब्द पहली बार 1935 के भारत सरकार अधिनियम में सामने आया, जिसके तहत भारत सरकार अनुसूचित जाति आदेश 1936 जारी किया गया था और इस आदेश के पैराग्राफ 3 में भी यह प्रावधान किया गया कि किसी भी भारतीय ईसाई को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। हिंदू समुदाय में प्रचलित अस्पृश्यता की ऐतिहासिक परंपरा इस आदेश के तहत जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का एकमात्र मापदंड थी, जिसे 1936 और 1950 दोनों में अनुसरण किया गया। अस्पृश्यता की सामाजिक बुराई को समाप्त करने के इरादे से संसद ने 1955 में *नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955* लागू किया, जो सभी प्रकार की अस्पृश्यता को धर्म की परवाह किए बिना प्रतिबंधित करता है और 1989 में एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को विशेष रूप से इन दो श्रेणियों के लिए लागू किया गया।

1870 और 1883 में रेव. सैमुअल माटीर, जो एक ब्रिटिश मिशनरी थे, ने दो पुस्तकें प्रकाशित कीं, ***"लैंड ऑफ चैरिटी"*** और ***"नेटिव लाइफ इन त्रावणकोर, "*** जिनमें उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इन राज्यों में ईसाई धर्म में परिवर्तित "गुलाम जाति" के लोग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से उन लोगों की तुलना में बेहतर स्थिति में आ गए जो हिंदू धर्म में बने रहे। मसलन ‘world brotherhood’ को अपना मूल मानकर ईसाई और मुस्लिम धर्म हिन्दू धर्म से अलग समानता पर आधारित मानते आये है। परिणामस्वरूप मुगल और ब्रिटिश काल से ही हिन्दू समाज के कई समुदायों ने हिन्दू धर्म त्याग कर इन धर्मो में अपना धर्मान्तरण किया है जों आज भी जारी है। हिन्दू समाज द्वारा जाति व्यवस्था के आधार पर दलितों के साथ सदियों से अस्पृश्यता के आधार पर सभी सामाजिक सुविधाओं में भेदभाव किया जाता रहा है जो अभी भी जारी है। ऐसे में हिन्दू समाज के इस वंचित वर्ग को अन्य उच्च वर्गो की भांति समानता के पायदान पर लाने के लिये सरकारी नौकरियों, स्कूलों, राजनीति में कुछ प्रतिशत आरंक्षण दिये जाने का प्रावधान संविधान में किया गया था। परिणामस्वरूप आज हिन्दू समाज के कुछ लोग इन वर्गो से कई स्थानों पर आज आसिन है। इसके साथ ही इसके माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में भी समाज के इस दलित वर्गो की आवाज़ आज बुलंद हो पाई है जैसा की रजनी कोठारी अपनी पुस्तक *पालिटिक्स इन इंडिया* में कहते है कि आज आरंक्षण की वजह से ही हिन्दू समाज का दलित वर्ग राजनीति में अपनी आवाज़ और जनमत को खडा कर पाया है। मसलन दलित वर्गो को मिलने वाले लाभों की वजह से धर्मान्तरण के षडयंत्र में लगे एंजेन्टों की नजर हमेशा से रही है ताकि वह हिन्दू समाज पर गहराई से चोट कर सकें। क्योंकि धर्मान्तरण के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान को ही नही बदलता अपितु अपने इतिहास, भोगोलिक सरंचना, पूजा पद्धति, संस्कृति, मूल्यों को भी त्याग देता है। ऐसे में धर्मान्तरण के गैर मानवीय कार्यो में लगे एजेन्ट किसी देश की धार्मिक पृष्टभूमि को तो बदलते ही है साथ ही देश के मूलनिवासियों को बहुसंख्यक से अल्पसख्यंक की स्थिति में धकेल कर उनके सभी अधिकारों को हडप जाते है।

4. दलित आरंक्षण पर नज़र क्यों

1992 में, 9 न्यायाधीशों की पीठ के सुप्रीम कोर्ट ने प्रसिद्ध इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992 Supp (3) SCC 217) में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और कहा कि यह ऐतिहासिक भेदभाव और उसके प्रभावों का निराकरण करने का एक उपाय है। हालांकि, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, और आरक्षण का लाभ क्रिमी लेयर को नहीं मिलना चाहिए। साथ ही, सरकार को क्रिमी लेयर की मानदंड निर्दिष्ट करने और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल जातियों का समय-समय पर मूल्यांकन करने का निर्देश भी दिया गया। समय-समय पर विभिन्न राज्यों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने-अपने राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण बढ़ा दिया, जो संविधान और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न

फैसलों के खिलाफ था। कई बार इन आरक्षणों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कई आरक्षण से संबंधित मामले अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।

मुसलमान और ईसाई धर्म के लोग भी अनुसूचित जाति समुदाय को दिए जा रहे आरक्षण के लाभ पर नजर रख रहे थे, चाहे उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कोई संबंध न हो। कुछ प्रमुख वकीलों की मदद से उन्होंने संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 को विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी, जो 2004 में दायर की गई थीं और विभिन्न उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ अपीलें भी दायर की गईं। इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और सभी को एक साथ जोड़ा। इस चरण में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 को पहली बार सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका संख्या 9596/1983 के माध्यम से ***सोसाई बनाम भारत संघ*** के मामले में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 की वैधता को बरकरार रखा और तीन न्यायाधीशों की बेंच द्वारा सर्वसम्मति से याचिका खारिज कर दी।

ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन सरकार और उनके समर्थन में कुछ बुद्धिजीवियों ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट में एक ही मुद्दे पर कई याचिकाएं दायर करने और सभी मामलों में नोटिस जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को समझाने की योजना बनाई। उसी वर्ष, अक्टूबर 2004 में तत्कालीन भारत सरकार द्वारा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन और अधिसूचना की गई, जिन्होंने 10 मई 2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि *"मुस्लिमों और ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा और लाभ दिया जाए"*, जो कि केवल काल्पनिक आधार पर और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विपरीत था।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस रिपोर्ट में आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती आशा दास ने बहुमत से प्रस्तुत रिपोर्ट के खिलाफ एक कड़ा असहमति नोट प्रस्तुत किया। आशा दास आयोग के 5 सदस्यों में से एकमात्र सदस्य थीं, जिन्होंने मुस्लिमों और ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के खिलाफ सिफारिश की थी। और बताया कि क्यों मुस्लिम और ईसाई धर्म में परिवर्तित लोगों कों अनुसूचित जाति की श्रेणी में नही रखना चाहिये । ईसाई और इस्लाम धर्म भारत के मूल धर्म नही । असहमति नोट में, श्रीमती आशा दास ने कहा कि हिंदू भारत के मूल निवासी हैं, जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म ऐसे धर्म हैं जो भारत के बाहर उत्पन्न हुए हैं। इन दोनों धर्मों में जाति प्रणाली को मान्यता नहीं है, जो कि हिंदू धर्म में गहराई से जड़ें जमाए हुए है। ऊंची जाति के उत्पीड़न के कारण ही अनुसूचित जाति के लोग इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए और आज भारत में मुसलमानों और ईसाइयों का एक बड़ा हिस्सा परिवर्तित और उनके वंशजों से बना है। ऐसे परिवर्तित लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देना इन धर्मों में जाति व्यवस्था को औपचारिक रूप से लागू करना होगा और धर्म के मूल सिद्धांतों को बदलना होगा, जो संसद और न्यायपालिका दोनों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। ऐसे परिवर्तित लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने या उन्हें आरक्षण का लाभ देने का प्रयास, इसके वास्तविक हकदार और उत्पीड़ित लोगों की कीमत पर किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंनें यह भी कहा कि क्योकि ऐसे परिवर्तित लोग पहले से ही ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं । इसलिये ऐसे में उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखनें से उन्हें तो दोहरा लाभ होगा ही परन्तु वास्तव में दलित समाज के लोगों के साथ यह अन्याय भी होगा ।

यहां यह भी ध्यान देने योग्य तर्क है कि मिश्रा समिति में की गई शिफारिशो का आयोग के समक्ष कुल 35 राज्यों में से केवल 7 राज्यों ने ईसाई और इस्लाम में परिवर्तित लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का समर्थन किया और 5 राज्यों ने इसका विरोध किया, जबकि शेष राज्यों ने चुप्पी बनाए रखी। कई राज्यों के मुस्लिम संगठनों और एनजीओ के प्रतिनिधियों ने मुस्लिमों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कड़ा विरोध किया। अनुसूचित जाति के संगठनों ने भी इस तरह के समावेश का कड़ा विरोध किया। इसके अलावा अन्य कारण भी है जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्यों ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोगों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नही रखा जा सकता

अनुसूचित जाति की जनसंख्या की वृद्धि से बचने हेतु: भारत के महापंजीयक कार्यालय (RGI)[1] ने सरकार से आग्रह किया कि अनुसूचित जाति का दर्जा वास्तव में अस्पृश्यता की प्रथा जो हिन्दू एवं सिख समुदाय में प्रचलित थी से उत्पन्न होने वाली सामाजिक अक्षमताओं से पीडित समुदायों के लिए है ऐसे में यदि ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोगों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाता है तों इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति की श्रेणी की जनसंख्या में काफी वद्धि हो जाऐगी जों वास्तविक हकदारों को उनकें मूल अधिकारों से वंचित कर देगी।

1 भारतीय महामंजीयक कार्यालय की स्थापना:RGI वर्ष 1961 में गह मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा की गई थी यह भारत की जनगणना और भारतीय भाषाई सर्वेक्षण सहित भारत के जनसंख्यिकीय सर्वेक्षणों के परिणामों की व्यवस्था संचालन एवं विश्लेषण करता है

विविध नृजातिय समूह जिन्होंने धर्मान्तरण किया: RGI के अनुसार वर्ष 2001 में ईस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले दलित किसी एक नृजातिय समूह से नही बल्कि अलग अलग जातिगत समूहों से संबंधित थें । इसलिये उन्हें अनुच्छेद 341 के खंड 2 के अनूसार अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल नही किया जा सकता है। क्योंकि इस सूचि में शामिल किये जाने हेतु एकल जातिय समूह से संबंधित होना आवश्यकता है।

दलित पहचान केवल हिन्दू धर्म में ही संभव: वर्ष 2001 की RGI रिपोर्ट के अनुसार दलित मूल के ईसाई और मुस्लिमों ने धर्म परिवर्तन के माध्यम से स्वयं ही अपनी दलित पहचान का त्याग कर अपना धर्मान्तरण किया और अपनी जातिगत पहचान का त्याग इसलिये किया क्योंकि यह प्रथा इन धर्मो में नही है। अतः अनुसूचित जाति श्रेणी केवल हिन्दू धर्म के दलितों तक ही सीमित है जो एक संवैधानिक व्यवस्था है। जिससे छेडछाड नही की जा सकती।

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के विरूद्: RGI के अनुसार क्योंकि अस्पृश्यता की प्रथा हिन्दू धर्म और उसकी शाखाओं की विशेषता रही है जिसे सामाजिक और मानवाधिकारों की दृष्टि से एक कुरीति माना गया है। जिसके निवारण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं ने अस्पृश्य लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उत्थान हेतु संविधान के मूल में आरंक्षण की व्यवस्था कर इन लोगों को समानता के स्तर तक लाने का प्रयास किया। जो अभी भी जारी है । बहरहाल क्योंकि इस प्रकार का जातिगत विभाजन हिंन्दू धर्म के अलावा ईसाई और मुस्लिम धर्म में नही था। इसलिये दलित समाज और अन्य कई नृजातिय समूहों ने सामाजिक समानता हेतु अपना धर्मान्तरण इन धर्मो में किया। ऐसे में यदि धर्मान्तरित लोगों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाता है तो यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नाकारात्मक संदेश देगा और यह माना जा सकता है कि भारत अपनी जाति व्यवस्था को विश्व के दो सबसे बडे धर्मो पर थोपना चाहता है।

धर्मान्तरित लोगों को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करना जाति व्यवस्था को बढवा देना होगा: जाति व्यवस्था हिन्दू धर्म में विद्यमान वर्ण विभाजन से उपजी कुरीति है। इस अमानवीय व्यवस्था में आने वाले लोगों के संवैधानिक सरंक्षण हेतु बाबा साहेब भीम राव अंम्बेडकर ने अनुसूचित जाति श्रेणी का निर्माण किया। ताकि आरंक्षण के माध्यम से उन्हें समान पायदान पर लाया जा सके। क्योंकि ऐसी वर्ण व्यवस्था के प्रमाण हिन्दू धर्म के अलावा अन्य किसी धर्म में नही मिलते मसलन हिन्दू धर्म के दलितों के अलावा ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति श्रेणी में लाना इस कुरीति को बढावा देना होगा। जो मानवाधिकारों के विरूद्ध होगा।

नृजातिय संघर्षो को बढावा: धर्मान्तरण का सबसे बडा प्रभाव उस देश के भोगोलिक क्षेत्र को पडता है जिसके कारण अचानक से धर्मान्तरित लोगो की जनसंख्या इतनी बढ जाती है कि वह उस देश की राजनीति को प्रभावित तो करता ही है साथ ही लोकतंत्र को धार्मिक मंशा की बली चढा देता है। परिणामस्वरूप देश के मूलवासियों को अल्पसंख्यक बना कर उनके अधिकारों को तो हडप ही लिया जाता है अपितु उनका शोषण भी किया जाता है। जिससे उस देश में नृजातिय संघर्षो में तेजी से बढोतरी होती है।

उपरोक्त कारणों के अलावा ऐतिहासिक रूप में भी ईसाई और मुस्लिम धर्म में धर्मान्तरित लोगों को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल नही किया जाना चाहिये ऐसे कई प्रमाण मिलतें है । ब्रिटिश काल में पारित 1936 अधिनियम के पश्चात ही अनुसूचित जाति और जनजाति शब्द अस्तित्व में आये और तब भी ईसाई धर्म में धर्मान्तरित लोगों कों इस श्रेणी में शामिल नही किया गया था। इसके अलावा ईसाई धर्म में धर्मान्तरित दलितों के मामले में प्रिवी कांउसिल ने यह स्पष्ट फैसला दिया कि किसी भी भारतीय ईसाई को अनुसूचित जाति का सदस्या नही माना जाएगा। इसी प्रकार डा अम्बेडकर ने 1932 में दलितों में ईसाई या एंग्लो इंडियन को शामिल करने का कडा विरोध किया। 1950 के भारतीय संविधान का अनुसूचित जाति का आदेश स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति हिन्दू धर्म से भिन्न धर्म को मानता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नही माना जायेगा। इस प्रकार यदि संविधान द्वारा प्रदत मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत जैन सिख और बौद्ध को कानूनी रूप से हिन्दू के रूप में शामिल किया गया है। मसलन हिन्दू एक्ट हिन्दू धर्म के अलावा जैन सिख और बौद्ध धर्म पर भी समान रूप से लागू होता है। जबकि ईसाई और मुस्लिम धर्म का अपना पर्सनल एक्ट हैं।

बहरहाल यदि उपरोक्त कारणों पर दृष्टि डाली जाये तो 2007 में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग की इस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी 2011 के आदेश के माध्यम से उन मामलों की एक श्रृंखला में अनुसूचित जाति आदेश 1950 की संवैधानिक वैधता पर मुद्दों का निर्धारण किया, भले ही पहले से ही सोसाई के फैसले में इसका समर्थन किया गया हो। 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने 30 अगस्त 2022 के आदेश द्वारा केंद्र सरकार को दलित समुदायों से अन्य धर्मों के लिए आरक्षण के विस्तार के संबंध में याचिकाकर्ताओं के दावे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर 2022 को अधिसूचना जारी करके भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक नई तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया, जो कि आयोगों की जांच अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत था। इसका उद्देश्य अन्य धर्मों के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करना था। भारत के सॉलिसिटर जनरल ने 7 दिंसबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह बयान दिया कि केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है।

5. धर्मान्तरितों द्वारा दलित आरंक्षण की मांग और न्यायपालिका

जैसा की चर्चा के प्रारंभ में ही बताया गया है कि सांसाई मामले द्वारा 1950 के नियम को चुनौती दी गई । उसी की तर्ज पर कांग्रेस सरकार द्वारा रंगनाथन मिश्रा आयोग का गठन ही ईसाई और मुस्लिमों को दलित आरंक्षण श्रेणी में लाये जाने की शिफाानिशे की गई थी । इस आयोग से पहले भी आरंक्षण में धर्मान्तरितों को शामिल करने की कोशिशे की जाती रही है परन्तु न्यायपालिका द्वारा इन चुनौतियों को लगातार गैर संवैधानिक मानकर खारिज़ किया जाता रहा है। उदाहरण सी.एम. अरुमुगम बनाम एस. राजगोपाल (1976 (1) एससी 863) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह निस्संदेह सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है और ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है, तो वह हिंदू धर्म का सदस्य नहीं रहेगा और इस प्रकार उसे अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार अनुसूचित जाति का कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि वह व्यक्ति पुनः हिंदू धर्म में लौटता है और उसकी जाति के लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो वह अनुसूचित जाति का दर्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।

वॉल्सम्मा पॉल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय (1996 (3) एससीसी 545) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक उम्मीदवार जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक उच्च जाति में की थी और जीवन में कई लाभ प्राप्त किए थे, लेकिन वह गोद लेने, विवाह, या धर्म परिवर्तन के कारण पिछड़ी जाति में आ गया है, वह अनुच्छेद 15 (4) या अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण के लाभ का हकदार नहीं बन सकता। स्वैच्छिक रूप से इन श्रेणियों में प्रवेश करके अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करना संविधान के साथ धोखा होगा और अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) की नीतियों को कमजोर करेगा।

मीरा कंवरिया बनाम सुनीता और अन्य (2006 (1) एससीसी 344) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 24 में कहा कि "यह संदेह से परे है कि एक उच्च जाति का हिंदू व्यक्ति, जो अपने जीवन में किसी सामाजिक या शैक्षिक पिछड़ेपन का सामना नहीं कर रहा है, केवल विवाह के कारण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं बन सकता। बिना किसी ठोस सबूत के वह उन प्रावधानों को विफल नहीं कर सकता जो राज्य द्वारा वंचित लोगों के लिए आरक्षित हैं।"

अंजन कुमार बनाम भारत संघ (2006 (3) एससीसी 257) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक आदिवासी महिला और गैर-आदिवासी पति की संतान अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी संतान को उच्च वर्ग के वातावरण में पाला गया और उसने किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं किया। एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है और झूठे जाति प्रमाण पत्र का सहारा लेकर ऐसा दावा करता है, वह भारतीय संविधान के साथ धोखा करता है।

कोडिकुन्निल सुरेश बनाम एन.एस. साजी कुमार (2011 (6) एससीसी 430) के मामले में, अपीलकर्ता के पिता अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। बाद में अपीलकर्ता ने पुनः हिंदू धर्म में वापसी की और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया, आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी चुनाव जीत यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि उनकी जाति के लोगों ने उनके हिंदू धर्म में लौटने को स्वीकार कर लिया और उनके चुनाव को बरकरार रखा।

मोहम्मद सदीक बनाम दरबारा सिंह गुरु (2016 (11) एससीसी 617) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 51 में कहा कि यह स्थापित कानून है कि व्यक्ति अपना धर्म और विश्वास बदल सकता है लेकिन अपनी जाति को नहीं, क्योंकि जाति का संबंध जन्म से होता है।

रंगनाथन मिश्रा आयोंग को कांग्रेस सरकार द्वारा अपनाये गये तुष्टीकरण को नीति मान कर कई आलोचको का कहना है कि इस आयोग का गठन का आरंभिक उद्देश्य धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की स्थिति का अध्ययन करना था। बाद में इसे मुस्लिमों और ईसाइयों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए जांच की जिम्मेदारी दे दी गई थी। आयोग की रिपोर्ट में मुस्लिमों और ईसाइयों की जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की सिफारिश की गई, ऐसा क्यो यह सहज ही समझा जा सकता है। क्योंकि रंगनाथ मिश्र आयोग को दिया गया कार्य संवैधानिक रूप से सही नहीं था, क्योंकि अनुसूचित जाति/जनजाति के मामलों को देखने के लिए संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान के अनुच्छेद-338 में राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रविधान किया था, जिसे बाद में संशोधित करके अनुसूचित जाति आयोग में बदल दिया गया। इस आयोग ने मुस्लिमों और ईसाइयों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को पूर्व में कई बार खारिज कर दिया था। साफ है मनमोहन सिंह सरकार ने न केवल संविधान के अनुच्छेद-338 का उल्लंघन किया, बल्कि संविधान निर्माताओं की उस बात को भी नहीं माना, जिसके तहत उन्होंने अनुसूचित जातियों से जुड़े मामलों को देखने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रविधान किया।

6. निष्कर्ष

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि जाति व्यवस्था केवल हिंदू धर्म में पाई जाती है और अस्पृश्यता हिंदू धर्म की एक सामाजिक बुराई थी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ विशेष जातियों के हिंदू लोगों को सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उच्च जाति के लोगों ने उन्हें अपने साथ बैठने, शिक्षा प्राप्त करने, मंदिरों में जाने और कई अन्य अधिकारों से वंचित रखा। अनुसूचित जाति का दर्जा कोई उपहार नहीं है, बल्कि ऐसे उत्पीड़ित लोगों को देश की मुख्यधारा में लाने और उन्हें उनके मौलिक मानवाधिकार प्रदान करने का एक प्रयास है, जिसके वे हकदार थे, लेकिन वंचित रह गए।

मुस्लिमों या ईसाइयों में ऐसी कोई जाति व्यवस्था नहीं है और न ही किसी व्यक्ति को उनकी जाति या समुदाय के आधार पर इस्लाम या ईसाई धर्म में उसी प्रकार से वंचित या उत्पीड़ित किया जाता है, जैसा कि हिंदू धर्म में प्रचलित है। चूंकि सिख धर्म और बौद्ध धर्म हमेशा हिंदू धर्म का हिस्सा रहे हैं, इसलिए उनकी तुलना इस्लाम या ईसाई धर्म से नहीं की जा सकती। इस्लाम या ईसाई धर्म के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देना संविधान और संविधान 987897000ने की पूरी प्रक्रिया के साथ धोखा होगा, जिस किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

Rajni Kothari (2005), "Politics in India", Little, Orient Longman Private Limited, New Delhi.

Report of 'Justice Rangnathan Mishra Commission of Inquiry', 2007, Vol. 1, in RanganathMishraVol_I_22102019_0.PDF

Report of the National Commission for Religious and Linguistic minorities (Rangnathan Mishra Commission Report Volume II)in https://www.minorityaffairs.gov.in/WriteReadData/RTF1984/1658830338.pdf

Krishnadas Rajagopar, "SC to study if J. Ranganath Mishra panel can be used to decide on quota for Dalit Converts", April 13, 2023, article in The Hindu, New Delhi

The Gadget of India, 6th June 1936, Close 3A

Constitution of India.

Constitutional Schedule Castes Order, 1950, the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, printed in India by the Manager Govt. of India Press, New Delhi and Publishe by The Manager of Publications Delhi 1950 in CONSTITUTION (SC) ORDER 1950 dated 10081950.pdf

P. N. Bhagwati, G.M. Arumugam vs S. Rajgopal & Others on 19 December, 1975 , in G. M. Arumugam vs S. Rajgopal & Others on 19 December, 1975

K. Ramaswamy, B.L. Hansaria, Mrs. Valsamma Paul vs Cochin University and Otheers on 4 January, 1996, in Mrs. Valsamma Paul vs Cochin University And Others on 4 January, 1996

S. B. Sinha, Meera Kanwaria vs Sunita & Ors on 8 December, 2005, in Meera Kanwaria vs Sunita & Ors on 8 December, 2005

H. K. Sema, Anjan Kumar vs Union of India & Ors on February, 2006, Anjan Kumar vs Union Of India & Ors on 14 February, 2006